



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

कार्यालय - नर्मदापुरम मार्ग, भोपाल - 462 026

क्रमांक : 13...../परीक्षा/26

भोपाल, दिनांक : 16/3/2026

संशोधित अधिसूचना

विषय:- सत्र 2025-26 के स्नातक स्तर स्वाध्यायी/नियमित छात्र एन.ई.पी 14 (1) अध्यादेश में प्रवेशित छात्रों का ऑनलाईन नामांकन/पंजीयन।

पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 02/परीक्षा/26 दिनांक 26.02.2026 में आंशिक संशोधन करते हुए सत्र 2025-26 में ONLINE के माध्यम से सम्मिलित होने वाले स्नातक स्तर स्वाध्यायी/नियमित छात्र एन.ई.पी 14 (1) अध्यादेश के परिपालन में प्रवेशित छात्र स्नातक प्रथम वर्ष वार्षिक परीक्षा में नामांकित होना चाहते हैं, उन छात्रों का नामांकन/पंजीयन करने हेतु निम्नांकित निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। स्नातक के छात्रों के नामांकन/पंजीयन की निम्नानुसार तिथि संशोधित कर निर्धारित की जाती है:-

06. स्वाध्यायी/नियमित छात्र के रूप में सम्मिलित होने वाले छात्रों का महाविद्यालय द्वारा पंजीयन/नामांकन आवेदन पत्र ऑन लाईन करके ऑनलाईन प्रिंट आउट प्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य से अग्रेषित होने के उपरान्त विश्वविद्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि 24/03/2026 है। अन्तिम तिथि के उपरांत 165/- रु. अतिरिक्त विलंब शुल्क दिनांक 07/04/2026 तक देय होगा एवं आवेदन पत्र स्वीकार किये जा सकेंगे।
07. महाविद्यालय के विद्यार्थियों से नामांकन आवेदन पत्रों की पात्रता अंकसूची के आधार पर ऑन लाईन पूर्तियां करवाकर, निर्धारित शुल्क, आब्रजन शुल्क (यदि देय हो), आर्हताकारी परीक्षा की अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति मूल प्रबजन प्रमाणपत्र आदि नियमानुसार अनिवार्य रूप से नामांकन आवेदन पत्र के साथ संलग्न कराना सुनिश्चित करें। जिसकी जबाबदेही प्राचार्य की होगी।
08. जिन विद्यार्थियों ने मध्यप्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंडल एवं इस विश्वविद्यालय के अतिरिक्त राज्य स्थित अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से आर्हताकारी परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें नामांकन आवेदन पत्र के साथ मूल प्रबजन प्रमाण पत्र(Migration Certificate) संलग्न करना अनिवार्य है।
09. जिन विद्यार्थियों ने मध्यप्रदेश के बाहर बोर्ड या विश्वविद्यालय से आर्हताकारी परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें नामांकन/पंजीयन आवेदन पत्र के साथ मूल प्रबजन प्रमाण पत्र(Migration Certificate) अनिवार्यतः संलग्न करने के साथ ही आब्रजन शुल्क रु.165/- अतिरिक्त देय होगा।
10. नामांकन आवेदन पत्रों के प्रिंट आउट में निर्धारित स्थान पर प्राचार्य के द्वारा हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। पंजीयन/नामांकन आवेदन पत्र जमा करते समय प्रिंट आउट के साथ अंकसूची, मूल माईग्रेशन इत्यादी संलग्न कर वि.वि. में जमा करना सुनिश्चित करें।
06. पंजीयन/नामांकन ऑन लाईन आवेदन के पश्चात ऑन लाईन भुगतान करना अनिवार्य है पूर्व में नामांकन प्राप्त विद्यार्थी नामांकन क्रमांक सही पोर्टल में अवश्य डालें जिसका निर्धारित पोर्टल शुल्क देय होगा। पंजीयन/नामांकन फार्म भरने के लिए वि.वि. द्वारा कराए गए प्रवेश में दिए गए एप्लीकेशन आई.डी. एवं शुल्क एम.पी.ऑनलाईन लिमिटेड के पोर्टल www.mponline.gov.inके माध्यम से भरे जाएंगे।

07.सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा छात्रों के फार्म ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य है। जिन छात्रों के ऑनलाईन फार्म नहीं भरे जावेंगे उनका पंजीयन/नामांकन नहीं होगा। ऑनलाईन फार्म भरने के पश्चात महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के नामांकन विभाग में ऑनलाईन भरे गये,फार्म एवं समस्त आवश्यक दस्तावेज फार्म के साथ लगाना सुनिश्चित करें।

निरंतर-2

09. समस्त संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्यों का दायित्व है कि छात्रों के पात्रता, माईग्रेशन एवं समस्त आवश्यक दस्तावेजों की भली-भांति जाँच करके ही पात्र छात्रों का ही नामांकन फार्म भरना सुनिश्चित करें। जिसकी संपूर्ण जबाबदेही प्राचार्य की होगी। स्थानांतरित छात्रों के लिए नामांकन फार्म महाविद्यालय से ही ऑनलाईन भरे जायेंगे।
09. नामांकन फार्म में वांछित सभी प्रविष्टियां सही भरी जावें और कोई भी कॉलम रिक्त न छोड़े। छात्र का नवीनतम फोटो एवं संबंधित अभ्यर्थी के हस्ताक्षर ऑनलाईन फार्म में अपलोड किए जावें। विद्यार्थी की पात्रता अंकसूची में मुद्रित छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि आदि नाम 10+2 अंकसूची अनुसार ही भरे जाएं। छात्र इसकी स्वयं भी जाँच करने का कष्ट करें जिससे गलती की संभावना न रहे। ऑनलाईन फार्म भरने के उपरांत ऑनलाईन पेमेन्ट जमा करने के पूर्व सभी प्रविष्टियां एवं फोटो चैक की जावें एवं यदि कोई त्रुटि हो तो सुधार कर लिया जावे। समस्त प्रविष्टियां चैक करने के उपरांत ही ऑनलाईन पंजीयन/नामांकन फार्म भरा जावे। ऑनलाईन पंजीयन/नामांकन फार्म जमा प्रक्रिया में केवल भुगतान हो चुके (जिनका **Transaction I.D** एवं **Code** जनरेट हुआ है) पंजीयन/नामांकन फार्म ही जमा माने जाएँगे एवं उनका पंजीयन/नामांकन किया जाएगा। यदि किसी प्रकार की त्रुटि/गलत प्रकार से आवेदन फार्म भरा जाता है तो इसके लिए छात्र एवं महाविद्यालय स्वयं जिम्मेदार होंगे।
10. ऑनलाईन नामांकन फार्म भरने के पश्चात प्रत्येक पंजीयन/नामांकन फार्म के प्रिंट आउट को प्राचार्य द्वारा निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षरित करवाकर, इन प्रिंट आउट के साथ सभी आवश्यक प्रमाणपत्र/दस्तावेज विश्वविद्यालय के नामांकन विभाग में **अंतिम तिथि 24.03.2026 तक** संबंधित महाविद्यालय द्वारा जमा करना सुनिश्चित करें। छात्र का नामांकन फार्म ऑनलाईन जमा होने के उपरांत नामांकन संबंधी सभी आवश्यक दस्तावेज नियत तिथि तक प्राप्त नहीं होते हैं/अपूर्ण प्राप्त होते हैं या छात्र अपात्र पाया जाता है या नियमों की पूर्ति नहीं की जाती है तो संबंधित छात्र को परीक्षा फार्म भरने की अनुमति नहीं होगी। छात्र का नामांकन निरस्त/प्रवेश पत्र रोकने/परीक्षा परिणाम रोकने जैसी कार्यवाही होती है तो इसके लिए संबंधित छात्र एवं महाविद्यालय जिम्मेदार होगा। नामांकन विभाग में नियत तिथि तक आवश्यक दस्तावेज प्राप्त न होने की स्थिति में अध्ययन संस्था के साथ पत्र व्यवहार करने हेतु विश्वविद्यालय बाध्य नहीं है।

GENERAL FEES DETAILS (16.03.2026 के स्थान पर दिनांक 24.03.2026 तक संशोधित)

| Students Category | Enrollment Fees |
|------------------------------------|-----------------------|
| Students of M.P. | RS.130/- |
| Students Of out side of M.P & CBSC | RS.130/-+165/- =295/- |
| Students Of out side of India | RS.275/-+380/- =655/- |

LATE FEES DATAILS (24.03.2026 से दिनांक 07.04.2026 तक संशोधित)


| Students Category | Enrollment Fees |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Students of M.P. | RS.130/-+165/- =295/- |
| Students Of out side of M.P. & CBSE | RS.295/-+165/- =460/- |
| Students Of out side of India | RS.275/-+380/- +380/=1035/- |

//3//

कृपया निर्धारित तिथियों तक विद्यार्थियों के नामांकन ऑनलाईन फार्म भरना सुनिश्चित करें एवं आवेदन पत्र उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हुए आवश्यक दस्तावेज सूची सहित विश्वविद्यालय में अनिवार्यतः जमा कराने का कष्ट करें।

नोट :-

01.अध्यादेश 14 (1) के अनुसार ही स्वाध्यायी छात्र पंजीयन/नामांकन के लिए पात्र होंगे। महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि अध्यादेश 14 (1) के अनुसार नॉन प्रेक्टिकल मेजर/माईनर के विषयों में ही स्वाध्यायी छात्रों के फार्म अग्रेषित करना सुनिश्चित करें।


परीक्षा नियंत्रक

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल
भोपाल, दिनांक 16/3/2026

पृ. क्रमांक 14.....परीक्षा/2026
प्रतिलिपि:—

- 1— प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग म.प्र.शासन की ओर सूचनार्थ।
- 2— आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग म.प्र.शासन की ओर सूचनार्थ।
- 3— प्राचार्य, समस्त समबद्ध महाविद्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4— अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 5— कुलपति के सचिव की ओर माननीय कुलपतिजी को सूचनार्थ।
- 6— उपकुलसचिव गोपनीय शाखा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7— जनसम्पर्क अधिकारी/कन्ट्रोल रूम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 8— प्रभारी, एम.पी.ऑनलाईन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9— प्रभारी विश्वविद्यालय वेबसाइट की ओर सूचनार्थ।
- 10— प्रभारी पृष्ठताछ कक्ष की ओर सूचनार्थ।
- 11— संपादक, दैनिक समाचार पत्रों की ओर उनके लोकप्रिय समाचार पत्र में छात्रहित में प्रकाशित किये जाने हेतु निवेदन के साथ प्रेषित।


सहायक कुलसचिव (परीक्षा)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल